[2019] 1 एस.सी.आर. 236

श्री सुरेश कुमार गोयल और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 56)

जनवरी 11,2019

[उदय उमेश ललित और

डॉ डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - उपधारा 482 और 245(2) - वास्तविक सुनवाई शुरू होने से पहले कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार - तथ्यों पर, आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाम पर शेयर खरीदे और अपीलकर्ता संख्या 2, और अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 के जाली हस्ताक्षर किए। अवैध रूप से बोनस शेयर खरीदे और उनके कब्जे में मूल शेयर सौंपने से इनकार कर दिया - प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आपराधिक शिकायत। अपीलकर्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप - मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया, हालांकि, पुनरीक्षण मामले में वापस भेज दिया गया - अपीलकर्ताओं द्वारा धारा 482 के तहत आवेदन - उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया - इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने मुक्ति के लिए धारा 245 (2) के तहत आवेदन दायर किया - अस्वीकृति मजिस्ट्रेट ने यह मानते हुए कि आईपीसी की धारा 420, 323 और 504 के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार बनाए हैं - अपील पर, आयोजित किया गया: अधिग्रहण की तारीख से शेयर हमेशा अपीलकर्ता नंबर 1 की हिरासत में रहे हैं और अधिग्रहण से हुआ था अपीलकर्ता की निधि संख्या I - शिकायतकर्ता ने केवल यह आरोप लगाया कि धनराशि उसके बैंक खाते से आई है, लेकिन ऐसे आरोपों के अलावा किसी भी स्तर पर रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है - धारा 245(2) के तहत अपने आवेदन में अपीलकर्ताओं का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि शेयर हो सकते हैं बाजार में बेचा गया और प्राप्त राशि को अपीलकर्ता संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच विभाजित किया जा सकता है - अपीलकर्ता संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को अस्वीकार कर दिया था और उचित आदेशों की मांग करते हुए नागरिक कार्यवाही दायर की थी - इस प्रकार, वर्तमान आपराधिक शिकायत एक

प्रयास है अपीलकर्ताओं के खिलाफ बदला लेना - आपराधिक शिकायत अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाना चाहिए - निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया और धारा 245 (2) के तहत मुक्ति के लिए आवेदन की अनुमति दी गई - प्रतिवादी नंबर 2 को 25,000/- रुपये का भुगतान करना होगा तुच्छ मुकदमेबाजी शुरू करने के लिए प्रत्येक अपीलकर्ता को लागत के रूप में - लागत।

राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर **(2013) 3 एससीसी 330 - संदर्भित।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

(2013) 3 एससीसी 330 पैरा 13 को संदर्भित किया गया

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 56।

आवेदन यू/एस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.05.2018 से 2011 का 482 नंबर 22324।

वेंकिता सुब्रमण्यम टी.आर., राघवेंद्र श्रीवास्तव, राहत बंसल, सलाहकार अपीलकर्ताओं के लिए.

त्रिबिन्ध कुमार, सुबोध झा, अमलान कुमार घोष, सलाहकार उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय **उदय उमेश ललित, जे** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत. यह अपील उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित 29/05/2018 के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जो 2011 का आवेदन संख्या 22324 था।

2. प्रतिवादी संख्या 2 ने 2009 की शिकायत संख्या 3804 दायर की। 02/12/2009 को 3 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की अदालत ने अपीलकर्ता संख्या 1, 2 और 3 अर्थात् उसके पिता, भाई और बहनोई के खिलाफ। शिकायत के पैराग्राफ 3,4, 5,7 और 10 में दिए गए मुख्य आरोप इस प्रकार थे:-

> "3. उस शिकायतकर्ता ने रिलायंस इंडस्ट्री के 100 शेयरों वाले 2 फोलियो खरीदे थे। 1% फोलियो शिकायतकर्ता और आरोपी नंबर 2 के नाम पर था और 2 फोलियो आरोपी नंबर 2 और शिकायतकर्ता के संयुक्त नाम पर था। इन शेयरों में पता मकान नंबर है.

केसी-102/2, कवि नगर, गाजियाबाद। इसके बाद रिलायंस कंपनी ने शिकायतकर्ता को वर्ष 1997 में 100 शेयर और इसी वर्ष अपनी कंपनी के 200 शेयर भेजे।

4. सभी आरोपियों ने अपनी साजिश को आगे बढ़ाते हुए शिकायतकर्ता को पीटा और दुर्भावनापूर्ण कारणों से वर्ष 1998 में उसे उसके बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने वर्ष 1997 और 2006 में शिकायतकर्ता के जाली हस्ताक्षर भी किए और अवैध रूप से बोनस शेयर खरीदे और जब शिकायतकर्ता ने उनसे अपने मूल शेयर और बोनस शेयर वापस मांगे, तो उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता वर्तमान में अपने और अपने बच्चों के जीवन की खातिर और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अपने बच्चों के साथ चिरंजीव विहार में रह रहा है।

5. शेयरों का फोलियो नंबर 068119227 है और शिकायतकर्ता को 2™ फोलियो के नंबर की जानकारी नहीं है और जब भी उसे इसके बारे में पता चलेगा तो वह इसे बाद में उपलब्ध करा देगा। क्योंकि सारे शेयर आरोपी के कब्जे में हैं. इतना ही नहीं, मेसर्स के 100 शेयर। शिकायतकर्ता की अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड भी आरोपियों की हिरासत में है।

7. शिकायतकर्ता द्वारा सभी मूल शेयरों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए खरीदने के बाद आरोपी नंबर 2 को सौंप दिया गया था।

10. शिकायतकर्ता के सभी शेयर आरोपी की हिरासत में हैं और शेयरों की कीमत लगभग 4.50 लाख रुपये है।

3. इस प्रकार यह आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी नंबर 2 के साथ विश्वासघात किया और धोखाधड़ी की और धारा 406, 420, 467,471, 323, 504, 506, 447 और 448 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के दोषी थे। हालाँकि, अपने आदेश दिनांक 18.06.2010 द्वारा तीसरे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ने पाया कि अपीलकर्ताओं को मुकदमे के लिए बुलाने का कोई आधार नहीं बनाया गया था और शिकायत गुणहीन होने के कारण सीआरपीसी की धारा 203 के तहत खारिज करने योग्य थी। हालाँकि, उपरोक्त आदेश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 2, गाजियाबाद द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पसंद किए गए 2010 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 179 में रद्द कर दिया गया था, जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 11.11.2010 द्वारा मामले को एक निर्देश के साथ भेज दिया था।

प्रतिवादी नंबर 2 को सुनवाई का अवसर देने के बाद नए आदेश पारित करने के लिए। अपीलकर्ताओं ने व्यथित होकर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत 2011 के आवेदन संख्या 9156 के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन दिया। उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय ने 23.03.2011 को यह कहते हुए निपटा दिया कि यदि अपीलकर्ता धारा 245(2) सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर करते हैं तो उस पर सुनवाई की जाए और शीघ्रता से निपटारा किया जाए।

4. तदनुसार, अपीलकर्ताओं द्वारा सीआरपीसी की धारा 245(2) के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। मुक्ति के लिए आवेदन के पैराग्राफ 6 से 15 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण से संबंधित हैं।

> "6.वह सच्ची और सही स्थिति यह है कि मेसर्स के 100 डिबेंचर के आवंटन के लिए एक आवेदन। रिलायंस पॉलिथीन लिमिटेड को सह-आवेदक, सुरेश गोयल ने वर्ष 1993 में दिया था। यह आवेदन उन्होंने अपने बेटों यानी अरुण कुमार गोयल (यानी शिकायतकर्ता) और देविंदर कुमार गोयल के नाम पर शेयरों के आवंटन के लिए दायर किया था। जिसे उक्त सह-आवेदक ने अपने ही बैंक का चेक दिया था।
>
> 7. उसके बाद रिलायंस पॉलिथीन लिमिटेड ने आवेदक सुरेश कुमार गोयल के उपरोक्त आवेदन के आधार पर 15.4.1993 को मास्टर फोलियो संख्या68119227 और प्रमाणपत्र नंबर 0.0049595 के माध्यम से अपनी कंपनी के 100 डिबेंचर जारी किए, डिबेंचर नंबर 004959401 से 004959500 तक।
>
> 8. उसके बाद उपरोक्त 100 डिबेंचर को मेसर्स रिलायंस पॉलिथीन लिमिटेड द्वारा शेयरों में बदल दिया गया और तदनुसार अरुण कुमार गोयल (यानी शिकायतकर्ता) और देविंदर कुमार गोयल के नाम सी में शेयर नंबर 154702201 से 154702300 वाले 100 शेयर जारी किए गए। फोलियो संख्या 68119227 और प्रमाणपत्र संख्या 00545523। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि मास्टर फोलियो नंबर 68119227 के माध्यम से डिबेंचर का 100 शेयरों में रूपांतरण उपरोक्त कंपनी द्वारा अपनी नीति के अनुसरण में किया गया था और इस रूपांतरण के लिए आवेदक द्वारा कभी कोई आवेदन नहीं दिया गया था।
>
> 9. बाद में मेसर्स रिलायंस पॉलिथीन लिमिटेड का मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में विलय हो गया और उसके बाद उपरोक्त 100 शेयरों के बदले में इस कंपनी के 25 शेयर कंपनी द्वारा उनकी पॉलिसी के शेयर नंबर 400314745 ई से 400314769 के अनुसार

आवंटित किए गए। फोलियो नंबर 68119227 और सर्टिफिकेट नंबर 056387476 के जरिए अरुण कुमार गोयल (यानी शिकायतकर्ता) और देविंदर कुमार गोयल के नाम। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि शेयरों का 25 शेयरों में रूपांतरण भी कंपनी द्वारा अपनी नीति के तहत किया गया था। उपरोक्त शेयर फोलियो नंबर 68119227 के तहत जारी किए गए थे।

10. उसके बाद मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अरुण कुमार गोयल (यानी शिकायतकर्ता) और देविंदर कुमार गोयल के नाम पर अपनी कंपनी के 25 शेयर जारी किए, जिनका शेयर नंबर 400314745 से 400314769 फोलियो नंबर 68119227 और सर्टिफिकेट नंबर 056387476 है।

11. बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी कंपनी को अपनी नीति के तहत 4 कंपनियों में विभाजित कर दिया, जिनके नाम आगे उल्लिखित हैं और अरुण कुमार गोयल (यानी शिकायतकर्ता) और देविंदर कुमार गोयल के संयुक्त नामों में से प्रत्येक में 50 शेयर जारी किए -

(ए) रिलायंस एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड: फोलियो नंबर 001486420, सर्टिफिकेट नंबर 000148642, शेयर नंबर 0007302483 से 0007302532 दिनांक 27.1.2006 - शेयरों की कुल संख्या 50।

(बी) रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर्स लिमिटेड: फोलियो नंबर 001486420, सर्टिफिकेट क्रमांक (अपठनीय) शेयर संख्या (अपठनीय) दिनांकित (अपठनीय) - कुल क्रमांक। शेयरों की संख्या 50।

(सी) रिलायंस रिसोर्सेज लिमिटेड: फोलियो नंबर 001486420, सर्टिफिकेट नंबर 000148642, शेयर नंबर 0007302483 से 0007302532 दिनांक 27.1.2006 - शेयरों की कुल संख्या 50।

(डी) रिलायंस कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड: फोलियो नंबर। 001486420, प्रमाणपत्र संख्या 000148642, शेयर संख्या 0007302483 से 0007302532 दिनांक 27.1.2006 - शेयरों की कुल संख्या 50।

12. इसके बाद उपरोक्त सभी 4 कंपनियों का विलय करके कंपनी नीति के तहत रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड के

नाम से 3 नई कंपनियां बनाई गईं और अरुण कुमार गोयल के संयुक्त नाम से निम्नलिखित शेयर जारी किए गए। यानी शिकायतकर्ता) और देविंदर कुमार गोयल -

(ए) मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड: मास्टर फोलियो नंबर 102341601, सर्टिफिकेट नंबर 0.016334160, शेयर नंबर 0225139303 से 0225139305 = 2 शेयर।

(बी) मेसर्स रिलायंस एनर्जी लिमिटेड: मास्टर फोलियो नंबर 102341601, सर्टिफिकेट नंबर 015734160, शेयर संख्या 0213764143 से 0213764145 = 3 शेयर।

(सी) मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड: मास्टर फोलियो नंबर 20148620, सर्टिफिकेट नंबर (अस्पष्ट), शेयर संख्या 23978999076 से 2397899087 = 12 शेयर।

13. उसके बाद मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी कंपनी नीति के तहत अरुण कुमार गोयल (यानी शिकायतकर्ता) और देविंदर कुमार गोयल के संयुक्त नाम पर फोलियो नंबर 0.608119227, सर्टिफिकेट नंबर 0.622733328, शेयर नंबर 002226357219 के तहत 50 बोनस शेयर जारी किए। 00222357268 दिनांक 28.11.2009.

14. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के 100 शेयर; रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के 2 शेयर; रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के 3 शेयर, और रिलायंस पावर लिमिटेड के 12 शेयर अरुण कुमार गोयल (यानी शिकायतकर्ता) और देविंदर कुमार गोयल के संयुक्त नाम पर जारी किए गए हैं। ये शेयर कंपनी ने मकान नंबर केसी-102/2, कवि नगर, गाजियाबाद यानी उनके रिकॉर्ड में दर्ज पते पर भेजे थे। उपरोक्त सभी शेयरों की मूल प्रति देविंदर कुमार गोयल के पास उपलब्ध है। इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि न तो आवेदकों और न ही शिकायतकर्ता ने ये शेयर खुले बाजार से खरीदे हैं। कंपनी द्वारा सभी शेयर सुरेश कुमार गोयल (अर्थात अरुण कुमार गोयल और देविंदर कुमार गोयल के पिता) द्वारा भुगतान किए गए पैसे के बदले आवंटित किए गए हैं, हालांकि ये शेयर कंपनी द्वारा अरुण कुमार गोयल और देविंदर कुमार के संयुक्त नाम पर जारी किए गए हैं। गोयल. किसी भी आवेदक ने बोनस शेयर एकत्र करने के लिए लिखित रूप में कोई आवेदन सी नहीं दिया था और न ही उनमें से किसी ने कभी इनमें से किसी भी शेयर को बेचने का प्रयास किया था। इसलिए शिकायतकर्ता का यह आरोप कि आवेदकों ने धोखाधड़ी करके और/या उसके जाली

हस्ताक्षर करके बोनस शेयर प्राप्त किए हैं, स्पष्ट रूप से गलत और झूठा है और आरोपी ने इसका जोरदार खंडन किया है। (अस्पष्ट)।

15. उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरुण कुमार गोयल द्वारा कंपनी या खुले बाजार से कोई शेयर नहीं खरीदा गया है।

5. इसी प्रकार, मेसर्स अमृत वनस्पति कंपनी लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण का भी सौदा किया गया और यह दावा किया गया: - ई

"18 उपरोक्त सभी शेयर संयुक्त नाम पर हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कोई भी उन शेयरों को न तो बेच सकता है या स्थानांतरित कर सकता है जो संयुक्त नाम पर हैं और न ही कोई पता बदल सकता है, जब तक कि दोनों शेयरधारक इसके लिए सहमत न हों और हस्ताक्षर न करें।

19. उपरोक्त एफ शेयरों के अलावा कोई अन्य शेयर नहीं खरीदा गया है। इसलिए, शिकायतकर्ता का यह आरोप कि जब भी उसे इसकी जानकारी होगी, वह एक अन्य फोलियो का विवरण/जानकारी प्रस्तुत करेगा, स्पष्ट रूप से गलत, झूठा और निराधार है और आवेदक ऐसे आरोपों का जोरदार खंडन करते हैं।

20. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मेसर्स द्वारा आवंटित सभी शेयर जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अरुण कुमार गोयल (यानी शिकायतकर्ता) और देविंदर कुमार गोयल के संयुक्त नाम से जारी किया गया है। परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता और देविंदर कुमार गोयल की उपरोक्त शेयरों में बराबर हिस्सेदारी है। इन सभी शेयरों की मूल प्रति देविंदर कुमार गोयल के पास है।

21. इसी तरह मेसर्स अमृत वनस्पति कंपनी द्वारा आवंटित शेयर भी अरुण कुमार गोयल (यानी शिकायतकर्ता) और देविंदर कुमार गोयल के संयुक्त नाम पर हैं और परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता और देविंदर कुमार गोयल दोनों के पास बराबर शेयर हैं। इन शेयरों की मूल प्रति भी देविंदर कुमार गोयल के पास है।

22. अनिल कुमार गर्ग का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। वह सुरेश कुमार गोयल के असली दामाद हैं और इसीलिए उन्हें भी इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

23. सुरेश कुमार गोयल और देविंदर कुमार गोयल ने शिकायतकर्ता-अरुण कुमार गोयल को खुले बाजार में बेचने के बाद उपरोक्त शेयरों में अपने आधे हिस्से का पैसा इकट्ठा करने की पेशकश भी की। लेकिन वह इस ऑफर के लिए तैयार नहीं हैं. वह सभी शेयरों की मांग करने का हकदार नहीं है।

6. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नंबर 3, गाजियाबाद ने अपने आदेश दिनांक 14/06/2011 द्वारा आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसे खारिज करते समय, यह देखा गया कि धारा 420, 323 और 504 टीपीसी के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार बनाए गए थे।

7. उपरोक्त आदेश को अपीलकर्ताओं द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर करके चुनौती दी गई थी, अर्थात् 2011 का आवेदन संख्या 22324। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की ओर से तर्कों को इस प्रकार नोट किया:

"आवेदक संख्या के रूप में। 1 विपक्षी नंबर 2 के आचरण से खुश नहीं था, उसने उसे अस्वीकार कर दिया और ओएस भी दायर किया। क्रमांक 406/2007 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन), गाजियाबाद की अदालत में घोषणा की डिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया। आवेदक संख्या द्वारा एक आपराधिक शिकायत भी शुरू की गई थी। विपक्षी क्रमांक 2 के विरुद्ध धारा 420, 406, 409, 321,323,385,442 आईपीसी के तहत।

2/12/2009 को विपक्षी सं. 2 ने आवेदकों के खिलाफ 2009 का शिकायत केस नंबर 3884 इस आधार पर दायर किया कि विपक्षी नं. 2 ने शिकायतकर्ता और आवेदक संख्या के नाम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज से शेयर खरीदे थे। 2. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्ष 1997 और वर्ष 2006 में शिकायतकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर आवेदकों को बोनस शेयर प्राप्त हुए और मूल शेयर भी आवेदकों के कब्जे में थे। मांगने के बावजूद शिकायतकर्ता को सामान नहीं सौंपा गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदकों ने गलत इरादे से 9/10/2007 को कंपनी को एक पत्र भेजा जो 10/10/2007 को कंपनी को प्राप्त हुआ और उसके बाद 15.8.2009 और 17/8/2009 को शिकायतकर्ता ने शिकायत की और इस संबंध में कंपनी को मेल भेजा।

आवेदकों के विद्वान वकील का कहना है कि शेयर आवेदक संख्या द्वारा खरीदे गए थे। 1, हालाँकि वे भी विपरीत पार्टी क्रमांक 2 के नाम पर थे। किसी भी समय कोई

जालसाजी नहीं की गई है और किसी भी कृत्य की तैयारी को जालसाजी नहीं कहा जा सकता है।"

8. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका में तथ्य के विवादित प्रश्नों पर विचार नहीं किया जा सकता है और क्या शेयर अपीलकर्ताओं द्वारा खरीदे गए थे या प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा, यह साक्ष्य का विषय है और इस तरह कोई हस्तक्षेप नहीं है। के लिए बुलाया गया था. इस प्रकार उपरोक्त आवेदन को 29.05.2018 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जो निर्णय वर्तमान में चुनौती के अधीन है।

9. अपील के समर्थन में, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा समाचार पत्र में एक विज्ञापन जारी करके और इस आशय का एक हलफनामा देकर प्रतिवादी नंबर 2 को अस्वीकार करने के बाद तत्काल शिकायत एक जवाबी विस्फोट थी; और जब उसने एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ अपीलकर्ताओं के घर में आने और किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने से निषेधाज्ञा की मांग की गई थी; और अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज किए जाने के बाद। यह प्रस्तुत किया गया था कि जैसा कि धारा 245 (2) सीआरपीसी के तहत आवेदन में बताया गया है, शेयरों के अधिग्रहण के लिए पूरी धनराशि वर्ष 1992-1993 में अपीलकर्ता नंबर 1 से आई थी, जब प्रतिवादी नंबर 2 लगभग एक युवा था। 24 साल। इस दावे के समर्थन में कि अधिग्रहण अपीलकर्ता नंबर 1 के फंड से हुआ था, संबंधित बैंक खातों की फोटोकॉपी भी रिकॉर्ड पर रखी गई थी। दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील ने यह दलील दोहराई कि स्वामित्व का मुद्दा अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न था जिसे लंबित शिकायत में तय किया जाना था और मामले को मुक्ति के लिए एक आवेदन में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। . इस दलील के समर्थन में कि प्रतिवादी नंबर 2 ने उन शेयरों को अपने स्वयं के फंड से हासिल किया था, 1250/- रुपये, 1250/- रुपये और 500/- रुपये की दिनांक 04.05 की डेबिट प्रविष्टियों को दर्शाने वाले एक टाइप किए गए उद्धरण पर भरोसा किया गया था। 1993, 08.06.1994 और 15.10.1994 जो उद्धरण हालांकि बिना किसी विवरण के था।

10. इस न्यायालय ने पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए मामले को स्थगित कर दिया, जिसके बाद अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ उनके द्वारा दायर सभी मामलों को इस शर्त पर वापस लेने पर सहमत हुए कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उनके

खिलाफ भी इसी तरह के मामले दायर किए जाएंगे। पक्षों के बीच सभी कार्यवाही को शांत करते हुए वापस लिया जाए। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 2 इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था।

11. शिकायत में आरोपों का जोर यह है कि विचाराधीन शेयर शिकायतकर्ता के फंड से हासिल किए गए थे, हालांकि वे हमेशा शिकायतकर्ता और उसके भाई के नाम पर थे। यह भी स्वीकार किया गया है कि शेयर हमेशा पिता यानी अपीलकर्ता नंबर 1 की हिरासत में रहे हैं। केवल इस आरोप के अलावा कि अधिग्रहण के लिए धनराशि उसके बैंक खाते से आई थी, शिकायतकर्ता द्वारा कुछ भी सुझाया नहीं गया है। दिनांक 04.05.1993, 08.06.1994 और 15.10.1994 की जिन प्रविष्टियों पर उन्होंने भरोसा किया, वे 15.04.1993 को रिलायंस पॉलिथीन लिमिटेड द्वारा 100 डिबेंचर जारी करने के बहुत बाद की हैं। जैसा कि सीआरपीसी की धारा 245(2) के तहत आवेदन में बताया गया है, मूल अधिग्रहण ये 100 डिबेंचर थे, जो समय बीतने के साथ निवेश में परिवर्तित हो गए और वर्तमान स्तर तक बढ़ गए। शिकायतकर्ता को इन विवरणों की जानकारी भी नहीं थी। पिटाई और धमकी के आरोप वर्ष 1998 के हैं और इनमें कोई दम नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये पहलू अपीलकर्ताओं को आरोप मुक्त करने के क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए पर्याप्त हैं या क्या अपीलकर्ताओं को अनुष्ठानों और मुकदमे की कठोरता से गुजरना चाहिए।

12. प्रक्रिया जारी करने के चरण में, या प्रतिबद्धता के चरण में, या आरोप तय करने के चरण में, यानी वास्तविक परीक्षण शुरू होने से पहले कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र से निपटते समय, अभियुक्तों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आलोक में, ***राजीव थापर और अन्य बनाम मदन लाल कपूर*** में यह न्यायालय! निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

> **"28.** उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उचित और उचित विकल्प चुनना चाहिए। यह अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता या अन्यथा का मूल्यांकन करने का चरण नहीं है। इसी तरह, यह यह निर्धारित करने का चरण नहीं है कि अभियुक्त की ओर से उठाए गए बचाव कितने महत्वपूर्ण हैं। भले ही अभियुक्त अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में कुछ संदेह या संदेह दिखाने में सफल हो, तो भी मुकदमे से पहले अभियुक्त को आरोपमुक्त करना अस्वीकार्य होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, बिना अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता को

इसकी पुष्टि के लिए सबूत पेश करने की अनुमति दिए बिना। हालाँकि, इसका उलटा सच नहीं है, क्योंकि अगर मुकदमा आगे बढ़ाया जाता है, तो भी आरोपी को किसी भी अपूरणीय परिणाम का सामना नहीं करना पड़ता है। अभियुक्त अभी भी कानून के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना बचाव स्थापित करके सफल होने की स्थिति में होगा। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की एक अंतहीन सूची है जिसमें कानूनी स्थिति की घोषणा की गई है कि ऐसे मामले में जहां अभियोजन/शिकायतकर्ता ने लगाए गए आरोपों के सभी तत्वों को सामने लाते हुए आरोप लगाए हैं, और न्यायालय के समक्ष सामग्री रखी है, प्रथम दृष्टया सी लगाए गए आरोपों की सत्यता को प्रमाणित करते हुए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

29. वर्तमान मामले में जिस मुद्दे की जांच की जा रही है, वह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, यदि वह किसी अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन की शुरुआत को प्रक्रिया जारी करने के चरण में, या प्रतिबद्धता के चरण में रद्द करने का विकल्प चुनता है, या यहां तक कि आरोप तय करने के चरण में भी. ये सभी वास्तविक परीक्षण शुरू होने से पहले के चरण हैं। वही पैरामीटर स्वाभाविक रूप से बाद के चरणों के लिए भी उपलब्ध होंगे। यहां ऊपर बताए गए चरणों में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में निहित शक्ति के दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि यह अभियोजन/शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने की अनुमति दिए बिना अभियोजन/शिकायतकर्ता के मामले को खारिज कर देगा। ऐसा संकल्प हमेशा सावधानी, सावधानी और सावधानी से किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट होना होगा कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सामग्री ऐसी है जिससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि उसका बचाव ठोस, उचित और निर्विवाद तथ्यों पर आधारित है; उत्पादित सामग्री ऐसी है जो अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों में निहित दावों को खारिज कर देगी और खारिज कर देगी, और उत्पादित सामग्री ऐसी है जो अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में निहित आरोपों की सत्यता को स्पष्ट रूप से खारिज कर देगी और खारिज कर देगी। यह किसी भी साक्ष्य को दर्ज करने की आवश्यकता के बिना, अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करने, अस्वीकार करने और खारिज करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसके लिए बचाव पक्ष द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, उसका खंडन नहीं किया जाना

चाहिए था, या वैकल्पिक रूप से, स्टर्लिंग और त्रुटिहीन गुणवत्ता की सामग्री होने के कारण, उचित रूप से खंडन नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है वह ऐसी होनी चाहिए जो एक उचित व्यक्ति को आरोपों के वास्तविक आधार को झूठा बताकर खारिज करने और निंदा करने के लिए प्रेरित करे। ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय की न्यायिक चेतना उसे ऐसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए राजी करेगी, क्योंकि इससे अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित किया जा सकेगा।

30. पूर्वगामी अनुच्छेदों में बताए गए कारकों के आधार पर, हम धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय में निहित शक्ति का उपयोग करके एक आरोपी द्वारा उठाए गए रद्दीकरण के लिए प्रार्थना की सत्यता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित चरणों को रेखांकित करेंगे:

30.1 चरण एक: क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया वह ठोस, उचित और निर्विवाद है यानी सामग्री स्टर्लिंग और त्रुटिहीन गुणवत्ता की है?

30.2 चरण दो: क्या आरोपी द्वारा भरोसा किया गया सामग्री आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में निहित दावों को खारिज कर देगी यानी सामग्री शिकायत में निहित तथ्यात्मक दावों को खारिज करने और खारिज करने के लिए पर्याप्त है यानी सामग्री ऐसी है जो आश्वस्त करेगी क्या कोई उचित व्यक्ति आरोपों के तथ्यात्मक आधार को झूठा बताकर खारिज और निंदा करेगा?

30.3 चरण तीन: क्या अभियुक्त द्वारा भरोसा की गई सामग्री का अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है; और/या सामग्री ऐसी है कि अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा इसका उचित रूप से खंडन नहीं किया जा सकता है?

30.4 चरण चार: क्या मुकदमे को आगे बढ़ाने से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी?

30.5 यदि सभी चरणों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय की न्यायिक चेतना को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए राजी करना चाहिए। शक्ति के इस तरह के प्रयोग से,

अभियुक्तों को न्याय देने के अलावा, बहुमूल्य अदालत का समय भी बचेगा, जो अन्यथा इस तरह के मुकदमे (साथ ही उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही) को आयोजित करने में बर्बाद हो जाएगा, खासकर जब यह स्पष्ट हो कि इसका निष्कर्ष दोषसिद्धि में नहीं होगा।"

13. वर्तमान मामले में विचाराधीन शेयर, अधिग्रहण की तारीख से ही हमेशा अपीलकर्ता नंबर 1 की हिरासत में रहे हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री बिल्कुल स्पष्ट है कि अधिग्रहण अपीलकर्ता नंबर 1 के फंड से था। शिकायतकर्ता ने केवल यह आरोप लगाया है कि धनराशि उसके बैंक खाते से आई है, लेकिन ऐसे आरोपों के अलावा किसी भी स्तर पर रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है। सीआरपीसी की धारा 245(2) के तहत अपने आवेदन में अपीलकर्ताओं द्वारा लिया गया रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि शेयरों को बाजार में बेचा जा सकता है और आय को अपीलकर्ता संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच विभाजित किया जा सकता है। यदि प्रतिवादी संख्या 2 संबंधित शेयरों के संबंध में पूर्ण स्वामित्व होने पर जोर दे रहा है, तो मामले को पहले एक सक्षम मंच के समक्ष स्थापित किया जाना चाहिए। हमने ***राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर*** (सुप्रा) में बताए गए चरणों के माध्यम से रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार किया है और आश्वस्त हैं कि तत्काल मामला सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप की मांग करता है। इसके अलावा, इस तथ्य से कि अपीलकर्ता नंबर 1 ने प्रतिवादी नंबर 2 को अस्वीकार कर दिया था और उनके खिलाफ उचित आदेश की मांग करते हुए नागरिक कार्यवाही दायर की थी, हम यह भी आश्वस्त हैं कि वर्तमान आपराधिक शिकायत पिता, भाई और के खिलाफ प्रतिशोध लेने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है। शिकायतकर्ता का जीजा। तत्काल आपराधिक शिकायत न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाना आवश्यक है।

14. इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हैं और तीसरे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की फाइल पर 2009 की शिकायत संख्या 3804 में धारा 245 (2) सीआरपीसी के तहत मुक्ति के लिए आवेदन की अनुमति देते हैं।

15. चूंकि हमने पाया है कि शिकायत की शुरुआत प्रामाणिक प्रक्रिया के तहत नहीं की गई थी, इसलिए हम प्रतिवादी संख्या 2 को प्रत्येक अपीलकर्ता को आज से दो महीने के भीतर 25,000/- रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपये) का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। तुच्छ मुकदमेबाजी शुरू करने की लागत के माध्यम से।

निधि जैन

अपील स्वीकार की गई।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।